संख्या-771/एक-10-2023-33(04)/2023

प्रेषक,

प्रभु एन० सिंह,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 02/06/2023

विषयः-मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा ललितपुर में वज्रपात से होने वाली जन हानि, धनहानि को न्यूनतम करने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1106/रा०आ०प्र०प्रा०/2022-23, दिनांक-22.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के 04 जनपदों, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा ललितपुर में मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वज्रपात से होने वाली जनहानि/धनहानि को न्यूनतम करने हेतु पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष रू० 3473.00 लाख (रू० 34.73 करोड़) की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक-17.05.2023 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वज्रपात से होने वाली जन हानि, धनहानि को न्यूनतम करने हेतु जनपद-प्रयागराज के विकास खण्ड-मेजा, ललितपुर के विकास खण्ड-मड़ावरा, मिर्जापुर के विकास खण्ड-हालिया में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किये जाने, जन जागरुकता प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन एवं उक्त 04 जनपदों के 51 विकास खण्डों में वाहन-ई/रिक्शा के माध्यम से एक माह तक माइकिंग के माध्यम से वज्रपात से बचाव के प्रचार-प्रसार का कार्यक्रम चलाए जाने हेतु क्रमशः **रू० 3,90,00,000/-, 6,95,00,000/- एवं 76,67,000/- अर्थात कुल रू० (3,90,00,000+6,95,00,000+76,67,000) 11,61,67,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ इकसठ लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वित्तीय वर्ष-** 2023-24 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ** के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबंधों</u>

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
2. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
3. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र सं०-33-02/2020-NDM-I , दिनांक-14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक-31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
8. ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
9. अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु क्रय किये जाने वाले उपकरणों का स्पेसीफिकेशन मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रूपये 11,61,67,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ इकसठ लाख सड़सठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहत निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by प्रभु नारायण सिंह
Date: 02-06-2023 10:52:46
Reason: Approved

(प्रभु एन० सिंह)
सचिव।

संख्याः-771(1)/एक-10-2023-33(04)/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०,प्रयागराज।

2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ०प्र०।

4- वरिष्ठ वित एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।

5- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।

7- राहत आयुक्त कार्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-08/06/2023

प्रेषण संख्या:- 771
आवंटन आदेश संख्या:- 001-771
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	116167000 116167000	116167000 116167000
	योग	वर्तमान प्रगामी	116167000 116167000	116167000 116167000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ इकसठ लाख सरसठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ इकसठ लाख सरसठ हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by akhilesh pratap singh
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.06.08 04:59:11 +05:30